शिक्षा का मौलिक अधिकार
कुछ मुद्दे और कुछ चुनौतियाँ

रंजना अरोड़ा*
राजरानी**

बच्चों की मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आ गया है। इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो इसके लिए आवश्यक है कि हम इसे समझें और शैक्षिक समुदाय से जुड़े अन्य सभी लोगों को समझाएँ। हम इसके मात्र आलोचक या समर्थक न बनकर विवेचक बनें। इसकी गहरी विवेचना कर इसकी खूबियों का लाभ उठाएँ और खामियों को दूर करने के लिए एकजुट हों। इस अधिनियम के मुख्य अवयवों तथा इससे जुड़े सरोकारों और चुनौतीयों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है इस लेख में।

लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए सक्षम परिस्थितियाँ बनाने की शक्ति रखती है। तानाशाही के विपरीत इसमें व्यक्ति और समाज स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, इन आवश्यकताओं को अपने ही द्वारा अपने लिए बनी सरकार तक पहुँचाते हैं और फिर शुरु होते हैं इन्हें अमली जामा पहनाने के प्रयत्न। यदि हम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो हमें इसके साथ इसकी असीमित विविधता को भी जोड़ना होगा। किसी भी तरह के विकास के प्रयत्न इस बात की माँग करते हैं कि इन्हें भाषा, धर्म, जाति, वर्ग, जैंडर इत्यादि सभी के संदर्भों में देखा जाए। कोई भी प्रयत्न इन मुद्दों से अलग हटकर किया जाता है तो उसकी असफलता सुनिश्चित हो जाती है। आज भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था शिक्षा के इतिहास के उस महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है जहाँ हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को कानूनी जामा पहना दिया गया है और इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। आज़ादी के 63 सालों बाद

**प्रवाचक*, माध्यमिक शिक्षा समूह, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली.
***प्रवाचक*, अध्यापक शिक्षा एवं विस्तार विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली.

आज भारत जिस सपने को साकार करने का प्रयत्न कर रहा है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा पुरानी है, स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारतीयों ने सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा के लिए आवाजें उठानी शुरु कर दीं थीं। परंतु बरतानी साम्राज्यवादियों ने उनकी इस माँग को ठुकरा दिया और 1870 में प्रत्येक बरतानी के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा[1] को कानूनी रूप दे दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बरतानी साम्राज्य बचा रहे और उपनिवेशों पर अपना अधिपत्य बनाए रखे। फिर भी भारतीयों ने अपनी माँग जारी रखी। 18 मार्च 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में मुफ़्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव साम्राज्यवादी वैधानिक परिषद् में रखा। नीचे दिए गए कुछ वाक्य उस प्रस्ताव का ही हिस्सा थे—

> *"मैं परिषद् के सामने सोच-विचार के लिए निम्न निवेदन करता हूँ, राज्य को इस देश के लिए जन शिक्षा के संबंध में वैसी ही जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए जैसी जिम्मेदारी अधिकतर सभ्य देशों की सरकारें निभा रही हैं और साथ ही विचारपूर्वक एक योजना बनानी चाहिए और जबतक वह लागू न हो जाए उसका समर्थन करना चाहिए। लाखों बच्चे जो शिक्षा के प्रभाव में आने का इंतजार कर रहें हैं, उनका कल्याण इसी पर निर्भर करता है"।*[2]

विडम्बना यह रही कि आजादी के पहले और बाद के छह दशकों के दौरान कुछ गंभीर प्रयासों के बावजूद अगस्त 2010 से पहले यह एक न पूरा होने वाला सपना ही था। पिछले सौ वर्षों में इस दिशा में किए गए कुछ प्रयासों पर नजर डाली जाए तो निम्नलिखित तथ्य सामने आते है—

1. 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले[3] के अनिवार्य शिक्षा के लिए दिए प्रस्ताव के पश्चात् 1937 में गाँधी जी ने सार्वभौमिक शिक्षा की बात उठाई।[4]
2. 1951 में भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई थी, पर यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल रहा।[5]
3. 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है।[6]
4. 1997 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया।[7]
5. दिसम्बर 2002 अनुच्छेद 21ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6-14 साल के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।[8]

---

[1] विनोद रैना (2009), 'राइट टू एजुकेशन', http://kwww.india_seminar.com//2009//593- vinod_raina.htm.

[2] जी. सेल्वा (2010), 'यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया: ए सैंचूरी ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स', http://pragoti.org//noda//3262 (अनुवादित).

[3] विनोद रैना (2009), 'राइट टू एजुकेशन', http://www.india_seminar.com//2009//593-vinod_raina.htm

[4] वही

[5] 'सबको शिक्षा', *जनसत्ता* (दैनिक समाचार पत्र, 6 अगस्त 2009).

[6] वही

[7] 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून'-इंडिया डेवलपमेंट गेट वे—स्रोत—इंफोचेंज इंडिया, http://www.indg.inprimary education //policies and schemes (अनुवादित).

[8] वही

6. अक्टूबर 2003 में उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून, मसलन बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर वेबसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आंमत्रित किये गए।[9]
7. सन् 2004 में मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया।[10]
8. जून 2005 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार पार्षद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का एक और प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा।[11]
9. 14 जुलाई 2006 में वित्त समिति और योजना आयोग ने इस विधेयक को आवश्यक कोष अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यों को भेजा।[12]
10. दिसंबर 2008 में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और काफी बहस के बाद 15 दिसम्बर 2008 को इसे मंजूरी मिल गई।[13]
11. 4 अगस्त 2009 को संसद ने इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून का करार दे दिया।[14]

क्या है इस अधिनियम[15] में

1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले, जिसमें यह माना गया कि शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है के लगभग सत्रह साल बाद 'शिक्षा का अधिकार' पर संसद की मुहर लगी। मुफ़्त और अनिवार्य 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम के जरिए 6-14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया है। सात अध्यायों और एक अनुसूची में विस्तार लेता हुआ यह अधिनियम अपने पहले अध्याय 'प्रारंभिक' में अधिनियम में लाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। जिनमें से कुछ मुख्य शब्द अधिनियम में दी गई व्याख्या के साथ नीचे दिए जा रहे हैं—

अध्याय-1 'प्रारंभिक' से

- 'बच्चा'—इसका अर्थ है कोई भी बच्चा (लड़का या लड़की) जो 6-14 वर्ष के बीच में है।
- 'वंचित समूह का बच्चा'—इसका अर्थ है वह बच्चा जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी समूह जैसे—अनुसूचित

[9] 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून'-इंडिया डेवलपमेंट गेट वे—स्रोत—इंफोचेंज इंडिया, http://www.indg.inprimaryeducation//policies and schemes (अनुवादित).

[10] वही

[11] वही

[12] 'पार्लियामेंट पासेस हिस्टोरिक राईट टू एजुकेशन', द पयोनियर (दैनिक समाचार पत्र, 5 अगस्त 2009) (अनुवादित).

[13] वही

[14] विनोद रैना (2009), "राइट टू एजुकेशन', http://www.india_seminar.com//2009//593-vinod_raina.htm.

[15] द राइट आफॅ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, भारत सरकार 2009, (अनुवादित).

जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य समूह जिसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक या इसी तरह के किसी कारक के कारण असुविधा है, से संबंध रखता है।

- 'कमजोर वर्ग का बच्चा'—इसका अर्थ है बच्चे के अभिभावकों या माता-पिता की वार्षिक आमदनी, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित आमदनी की निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है।
- 'आरंभिक शिक्षा'— का अर्थ है कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा।
- 'विद्यालय'— का अर्थ है कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय जो आरंभिक शिक्षा दे रहा हो और इसमें शामिल हैं—

1. विद्यालय, जो उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित हों, उसके स्वामित्व में हों या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हों।
2. एक अनुदानप्राप्त विद्यालय जो अपने आंशिक/पूर्ण व्यय के लिए उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हो।
3. एक विद्यालय जो निर्धारित वर्ग में आता है। विद्यालय के संदर्भ में निर्धारित वर्ग का अर्थ है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या फिर ऐसा कोई भी विद्यालय जो ऐसी अलग विशेषता रखता हो जिसे उपयुक्त सरकार ने अधिसूचना जारी कर निर्धारित किया हो।
4. एक विद्यालय जो अपने खर्च के लिए उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार से किसी तरह का भी अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

अध्याय-2 'मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' से

अध्याय 2 के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—

1. 6-14 वर्ष की उम्र के किसी भी बच्चे को पड़ौस के स्कूल में आरम्भिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को आरम्भिक शिक्षा लेने के लिए ऐसा कोई भी व्यय नहीं करना होगा अथवा शुल्क नहीं देना होगा जो उसे आरंभिक शिक्षा में आगे बढ़ने अथवा पूरी होने से रोक सके। किसी प्रकार की विकलाँगता (विकलाँगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए बना कानून, 1985 के अनुसार) से प्रभावित बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
2. यदि छह साल से ऊपर के किसी बच्चे ने किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या अपनी आरंभिक शिक्षा नहीं पूरी कर पाया तो उसे उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में दाखिला मिलेगा। इस स्थिति में उसे दूसरे विद्यार्थियों के बराबर आने के लिए उसी समय सीमा (जैसी निर्धारित हो) में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरंभिक कक्षा के लिए दाखिल बच्चे को 14 वर्ष के बाद भी तबतक मुफ़्त शिक्षा मिलेगी जबतक उसकी आरंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती।

अध्याय-3 'उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावकों के कर्त्तव्य' से-

अध्याय-3 के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है—

1. इस कानून के प्रावधान लागू करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को उनके क्षेत्रों या पड़ौस की सीमा में जैसा कि निर्धारित किया गया है यदि स्कूल न हो तो इस कानून के लागू होने के तीन वर्षों के भीतर स्कूल की स्थापना करनी होगी।
2. इस कानून के प्रावधानों को लागू करने हेतु धन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होगी।
3. केंद्र सरकार अकादमिक प्राधिकारियों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित करेगी तथा लागू करेगी। नवाचारों, शोधों, योजनाओं और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा संसाधन उपलब्ध कराएगी।
4. उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि भौतिक सुविधाएँ जिसमें विद्यालय भवन, शिक्षक और अधिगम उपकरण शामिल हैं—को उपलब्ध कराएँ, विशेष प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराएँ तथा अनुसूची में निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता पूर्व शिक्षा सुनिश्चित करे।
5. प्रत्येक अभिभावक या बच्चों के संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को पड़ौस के विद्यालय में आरंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाएँ।
6. तीन साल से ऊपर के बच्चों की आरंभिक शिक्षा की तैयारी तथा सभी बच्चों की पूर्व बाल्यावस्था देख-रेख तथा शिक्षा जबतक कि वे छह साल के नहीं हो जाते के मद्देनज़र उपयुक्त सरकार ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के आवश्यक प्रबंध करेगी।

अध्याय-4 'विद्यालयों तथा शिक्षकों के दायित्व' से—

1. सभी प्रकार के सरकारी विद्यालय, प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएँगें।
2. सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय ऐसे अनुपात में बच्चों को मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएँगें जिसमें उनके अनुपात का न्यूनतम 25% हिस्सा खर्च हो।
3. पूरी तरह से निजी विद्यालय कक्षा एक के लिए निर्धारित विद्यार्थी की सँख्या का न्यूनतम 25% बच्चे पड़ौस के कमजोर वर्ग तथा वंचित वर्ग से लेंगें और उन्हें आरम्भिक शिक्षा के पूरी होने तक मुफ़्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएँगें।
4. कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बच्चे के प्रवेश के समय किसी भी तरह का प्रतिव्यक्ति (केपिटेशन) शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे के अभिभावकों और संरक्षकों की परीक्षा। ऐसा करने वाले विद्यालय को जुर्माना देना पड़ सकता है।

5. किसी बच्चे को उम्र के प्रमाण-पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा।
6. किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और आरंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।
7. किसी बच्चे को शारीरिक सजा या मानसिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी। ऐसी सजा देने वालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
8. शिक्षक को विद्यालय में अपनी उपस्थिति और नियमितता बनाए रखनी होगी। पूरी पाठ्यचर्या को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यता का आकलन करना होगा और उसी के अनुसार आवश्यक निर्देश देने होंगें। शिक्षक को अभिभावकों से नियमित बैठकें करनी होंगीं और अभिभावकों को उनके बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, सीखने की योग्यता, सीखने में की गई प्रगति और बच्चे के बारे में कोई भी अन्य सार्थक सूचना से अवगत कराना होगा।
9. कोई भी शिक्षक जनगणना, आपदा राहत कार्य या चुनाव कार्य के अलावा किसी गैर-शैक्षिक कार्यो के लिए नहीं भेजा जाएगा।
10. कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन/शिक्षण नहीं करेगा।

अध्याय-5 'पाठ्यचर्या एवं आरंभिक शिक्षा की समाप्ति' से—

इस अध्याय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

1. आरंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्याँकन विधियाँ किसी अकादमिक प्राधिकरण (Academic Authority) द्वारा निर्धारित की जाएँगी जिसका ब्यौरा उपयुक्त सरकार ने अधिसूचना में जारी कर दिया है।
2. अकादमिक प्राधिकारी पाठ्यचर्या और मूल्याँकन प्रविधियों का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखेंगें—
   (अ) संविधान में दिए मूल्यों का परिपेक्ष्य;
   (ब) बच्चों का सर्वांगीण विकास;
   (स) बच्चों के ज्ञान, क्षमता तथा प्रतिभा का निर्माण;
   (द) शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास;
   (य) गतिविधियाँ, खोज और अन्वेषण की सहायता से बाल-केंद्रित और बाल-मित्रवत् तरीके से अधिगम;
   (र) शिक्षण का माध्यम, जहाँ तक व्यवहारिक हो, बच्चों की मातृभाषा हो;
   (ल) बच्चों को डर, सदमें और चिंता से दूर करना और उनके विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में मदद करना;
   (व) बच्चों के ज्ञान की समझ तथा उसका अनुप्रयोग करने की योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्याँकन;
3. आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्याय-6 'बच्चों के अधिकार की रक्षा' से-

इस अध्याय के महत्त्वपूर्ण बिंदु हैं—

राष्ट्रीय बाल-अधिकार रक्षा आयोग तथा राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग पहले से ही निर्धारित कार्यो के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी करेंगे—

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अधिकारों की रक्षा के तरीकों की जाँच तथा समीक्षा और इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तरीकों की संस्तुति;
   (अ) मुफ़्त तथा अनिवार्य शिक्षा का बच्चे का अधिकार से संबंधी शिकायतों की जाँच।
   (ब) बाल अधिकार रक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुझाए गए आवश्यक कदम उठाना।

अध्याय-7 'मिश्रित' से—

अध्याय-7 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं—

1. केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों से उपयुक्त दिशा निर्देश दे सकती है।
2. उपयुक्त सरकार स्थानीय प्राधिकरण या विद्यालय प्रबंधन समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु उचित दिशा-निर्देश दे सकती है।
3. स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय प्रबंधन समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित दिशा-निर्देश दे सकता है।

अनुसूची

इस अधिनियम की अनुसूची में विद्यालय के लिए मानक दिए गए हैं जिसमें कक्षा एक-से-कक्षा पाँच तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सँख्या के अनुपात में शिक्षकों की सँख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है—

इसी अनुसूची में विद्यालय भवन के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय में सभी ऋतुओं के लिए उपयुक्त भवन होना चाहिए-

अनुसूची

विद्यालय के लिए मानक और प्रमाणक

	प्रवेश लेने वाले बच्चों की सँख्या	*शिक्षकों की सँख्या*
(अ) कक्षा एक से कक्षा पाँच तक	60 तक	2
	61 से 90 तक	3
	91 से 120 तक	4
	121 से 200 तक	5
	150 से ऊपर	5+ एक मुख्य अध्यापिका
	200 से ऊपर	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (मुख्य अध्यापिका को छोड़ते हुए) 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
(ब) कक्षा छह से कक्षा आठ तक	(1) प्रति कक्षा कम-से-कम एक शिक्षिका ताकि कम-से-कम एक शिक्षिका, जैसे- (अ) विज्ञान और गणित (ब) सामाजिक विज्ञान (स) भाषाओं के लिए हो (2) कम-से-कम एक शिक्षक प्रति 35 बच्चों के लिए हो (3) जहाँ बच्चों की सँख्या 100 से ऊपर है: (i) एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक; (ii) अंशकालिक अनुदेशक (अ) कला शिक्षा (ब) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (स) कार्य शिक्षा	

1. कम-से-कम एक कक्षा कक्ष प्रत्येक शिक्षक के लिए तथा एक कक्ष जो मुख्य अध्यापक का कक्ष तो हो ही साथ ही उससे कार्यालय और संग्रहण कक्ष का भी काम लिया जा सके।

2. बाधा-मुक्त पहुँच।
3. लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय।
4. सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था।
5. एक रसोईघर जहाँ मध्याह्न भोजन पकाने की व्यवस्था हो, और
6. खेल का मैदान।

इसके साथ ही यह अनुसूची यह भी निर्धारित करती है कि एक अकादमिक वर्ष में कम-से-कम कितने कार्यकारी दिवस होंगे, प्रत्येक शिक्षक को प्रति सप्ताह कम-से-कम कितने घंटे कार्य करना होगा, सीखने-लिखने के उपकरण, पुस्तकालय व खेल-सामग्री के मानक भी इसमें दिये गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार यह सूची परिवर्तनीय है।

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के सात अध्याय और एक अनुसूची एक ओर तो परिवर्तन की साफ़ हवा की ओर इशारा करते हैं तो दूसरी ओर बहुत से मुद्दे और चुनौतियाँ भी सामने रखते हैं जिन्हें हमारा शैक्षिक समुदाय अन्य महत्त्वपूर्ण समुदायों (राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक इत्यादि) के साथ मिल बैठकर साझा कर सकता है और रास्ते निकाल सकता है ताकि परिवर्तन की हवा बिना बाधा के रहे।

यह कानून 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय तथा विद्यालयी शिक्षा निशुल्क मुहैया कराने का वादा करता है। आठवीं तक के बच्चों को परीक्षाओं के बोझ और फेल होने से मुक्ति देने का प्रावधान देता है। अभिभावकों को तंग करने वाले बहुत से प्रचलनों जैसे–स्कूलों द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फीस पर लगाम लगता है तथा बच्चों के दाखिले के समय अभिभावकों को इंटरव्यू जैसी मानसिक यातना से छुटकारा देता है। यह अधिनियम शिक्षकों को जनगणना, चुनावी ड्यूटी के अलावा अन्य अतिरिक्त कार्यों से राहत देता है।

यह अधिनियम जो चुनौतियाँ हमारे सामने रखता है उनमें राज्य और केंद्र सरकार पर इस अधिनियम को लागू करने में आने वाला वित्तीय दायित्व और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना तो शामिल है ही, लेकिन जो मुख्य चुनौतियाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने हैं उनमें शामिल हैं एक बड़ी सँख्या में शिक्षकों की भर्ती, ऐसी पाठ्यचर्या जो सभी बच्चों को तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें, शिक्षकों का प्रशिक्षण जो ऐसी पाठ्यचर्या को कक्षा में साकार कर सके।

आने वाले समय में प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक कक्षा एक लघु भारत का स्वरूप लिए होगी। यहाँ हर पहलू पर विविधता होगी, भिन्न-भिन्न उम्र वर्ग के, विविध पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ सीखने को तत्पर होंगें। बच्चों की अलग-अलग भाषाएँ और संस्कृतियाँ होंगीं, उनकी क्षमताएँ भी अलग होंगीं। हमारे शिक्षकों से यह अपेक्षा होगी कि वे न केवल सभी बच्चों की कक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करें, बल्कि प्रत्येक बच्चे को सीखने का आनन्दपूर्ण अनुभव भी दें। वह हर बच्चे की पृष्ठभूमि और संदर्भ को जानें और उससे जुड़ते हुए पाठ्यवस्तु की मदद से बच्चों को पढ़ाएँ।

कैसे होगा ये सब? आज हमारी कक्षाओं में जैसे शिक्षक हैं, वे तो बच्चों के समूह को

होमोजिनियस (एक-सा) मानकर चलने वाले हैं। वे तो मानते हैं बच्चे 'कोरी स्लेट' हैं उस पर जो कुछ लिखना है शिक्षक को ही लिखना है। बच्चों के संदर्भों से तो उन्हें कोई लेना-देना ही नहीं है। हमारे शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में भी व्यवसायिकता का अभाव है। ये कार्यक्रम शिक्षकों को यांत्रिक तरीके से शिक्षित करते हैं—सिद्धांतों और व्यवहारिकता में एक बड़ी खाई के साथ। सिखाते समय की परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं और सीखने के बाद विद्यालयों का यथार्थ कुछ और।

यह कानून प्रभाव में आ चुका है और हमारी व्यवस्था अभी जागी नहीं है। शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में परिवर्तन की माँग पिछले छह दशकों से की जा रही है और आज भी ढाक के वही तीन पात। सेवा पूर्व की शिक्षक-शिक्षा या सेवाकालीन दोनों में ही व्यवसायिकता का अभाव है। कैसे दी जाएगी सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा? यह सरोकार विचारणीय है। शिक्षा के विभिन्न मंचों पर यह सरोकार व्यक्त किया जा रहा है। शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रमों को बदलने के प्रयास किए जा रहें हैं। आरंभिक शिक्षा हेतु शिक्षक तैयार करने के नए मॉडल तलाशे जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा में परिवर्तन यह संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में स्कूलों में आरंभिक शिक्षा ले रहे बच्चों के शिक्षक को नया रूप लेना होगा। उसे समझना होगा हरेक बच्चा अपने आप में अलग है और अपनी गति से सीखता है। प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने का उत्तरदायित्व उसके कंधों पर है। किसी भी कक्षा में वर्ष के किसी भी समय बच्चे का प्रवेश और उस बच्चे को अन्य बच्चों के समकक्ष ले जाना उस शिक्षक के लिए चुनौती होगी।

एक और बड़ी चुनौती है पाठ्यचर्या की। आज ज़्यादातर राज्यों में विद्यालयों में जिस तरह के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें लागू हैं वे बच्चों के संदर्भों पर ध्यान नहीं देतीं। मानक भाषाओं में विकसित ये पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें पहली पीढ़ी के विद्यालय आने वाले बच्चों को कैसी शिक्षा देगीं यह सोचने का विषय है। एक ही कक्षा में अलग-अलग उम्र और पृष्ठभूमि के बच्चे होंगें, इनको पढ़ाने के लिए कैसी सामग्री बनाई जाएगी और इसे कैसे उन बच्चों तक पहुँचाया जाएगा यह भी मनन का विषय है। कुछ राज्यों में इस तरह के विशेष प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने के प्रयास शुरु हो गए हैं। परन्तु इन प्रयासों के बावजूद निम्नलिखित कुछ तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता।

भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए काम कर रही संस्थाओं का अभाव नहीं है। मानव संसाधन की प्रचुरता तो भारत की विशेषता कही जाती है। फिर भी व्यवस्थाओं के ठीक से काम न करने के कारणों में कुछ स्पष्ट कारण नजर आते हैं—व्यापक दिशा निर्देशों की कमी, सुधार लागू करने की ढीली नीति, निगरानी का अभाव, कमियों को छिपाना, भूमिकाओं में अस्पष्टता। हमारे यहाँ दिशा-निर्देश तो बनाए जाते हैं लेकिन वे बहुत हद तक अस्पष्ट होते हैं। व्यवस्थाओं में काम करने वाले लोग उन्हें समझ नहीं पाते और ऊपर से इन्हें लागू करने की ढुलमुल नीति इनका कोई प्रभाव व्यवस्था पर पड़ने ही नहीं देती। सुधार लाने के लिए दिशा निर्देश बने, लागू नहीं हो पाए तो आगे इनकी निगरानी भी नहीं होती है। यदि गाहे-बगाहे कहीं पूछ लिया गया

या निरीक्षण हो गया तो कमियों को बखूबी छिपाकर 'काम अच्छे ढंग से हो रहा है' इसकी व्याख्या कर दी जाती है। निरीक्षण करने वाले संतुष्ट हो जाते हैं।

उच्च स्तरों पर परिवर्तन की सफलता का डंका पीटा जाता है जबकि भूमि स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं में भी अस्पष्टता है। कोई एक संस्था वर्षों से स्कूली पाठ्यचर्या के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तभी अचानक एक दूसरी संस्था भी बाजार बलों के प्रभाव में आकर इस क्षेत्र से जुड़ जाती है। वर्षों की मजबूत पृष्ठभूमि के अभाव में वैश्वीकरण को संबोधित करते हुए अन्य तार्किक आधार के बिना इस नई संस्था द्वारा बनाई गई शैक्षिक सामग्री तथा कार्यक्रम प्रारंभिक तौर पर तो लोगों द्वारा सराहे जाते हैं और बाद में इसका खोखलापन सामने आते ही इसका उपयोग बन्द हो जाता है। परन्तु तबतक शैक्षिक व्यवस्था में एक बार और असंमजस की स्थिति आ जाती है। अत: यह आवश्यक है कि शैक्षिक संस्थाओं की भूमिकाओं में स्पष्टता लाई जाए, व्यापक दिशा निर्देश बनाए जाने के बाद सुधारों को लागू करने के प्रयत्न आरम्भ हों। इसकी सख्त निगरानी हो और साथ-साथ ही व्यवस्था के प्रत्येक जुड़े हुए पहलु में सुधार लाया जाए।

इस कानून में भी कई स्थानों पर स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव है। यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न पहलूओं से जुड़े अलग-अलग लोग इसका अलग तरह से विश्लेषण कर रहें हैं और टिप्पणियाँ दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा के नतीजों के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि—

'शिक्षा का अधिकार' का यह अधिनियम स्कूली शिक्षा और उसके भौतिक ढाँचे के अधिकार की गारंटी तो लेता है, लेकिन उसके परिणामों की गारंटी नहीं लेता। इस अधिनियम में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अर्थात् कक्षा एक से कक्षा आठ तक किसी भी विद्यार्थी को कहीं बीच में रोका नहीं जाएगा। लेकिन नतीजों का कोई ख्याल नहीं है। हाल में कुछ राज्यों में कक्षा छह के विद्यार्थियों के नंबरों के औसत प्रतिशत के बारे में एन.सी.ई.आर.टी. की रिर्पोट चौंकाने वाली है। रिर्पोट के अनुसार आठवीं तक पहुँच चुके विद्यार्थी भी भाषा और गणित में खराब प्रदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ़ यह विधेयक अभिभावकों को यह भी हक नहीं देता कि वे अपने बच्चों को स्वेच्छा से किसी कक्षा में रोक सकें। इस मामले में दुनिया भर के देशों में एक अलग किस्म का चलन है कि उदाहरण के लिए अमेरिका के स्कूलों के लिए कानून है कोई बच्चा पीछे न छूट जाए (नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड)। इसके अनुसार कक्षा तीन और आठ के लिए पढ़ने और गणित के सवाल करने का एक स्वतंत्र आकलन करने का प्रावधान है। अगर स्कूल आर्रंभिक ट्यूशन, स्कूल के पुनर्गठन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से न्यूनतम स्कोर हासिल करने में नाकाम रहा तो उसके लिए दंड का विधान है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सौ फीसदी

हाजिरी तो हासिल कर ली पर शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता घटिया रही।'[16]

इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम बने, इत्यादि कई मुद्दों पर कानून स्पष्ट नहीं है। इनमें स्पष्टता लाने तथा एक सामान्य समझ बनाने की जरुरत है। हमारी कानून व्यवस्था को भी बच्चों के स्वभाव, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं, बच्चों की चिंता, बच्चों पर दबाव, पाठ्यचर्या का लचीलापन जैसी कई अवधारणाओं के बारे में सही दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता है।

अन्त में, यही कहा जा सकता है इस कानून द्वारा सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा और विद्यालय उपलब्ध कराने का सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हम सभी को शामिल होना है, सिर्फ़ आलोचक या समर्थक के रूप में नहीं बल्कि एक विवेचक के रूप में। कानून की खामियों को सिर्फ़ खामियाँ समझकर समस्याएँ नहीं बढ़ानी हैं वरन् इस पर संवाद कर नए रास्ते निकालने हैं। कानून में जो खूबियाँ वे किस प्रकार यथार्थ रूप में लागू हों इसके भी प्रयत्न करने हैं। अभी तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए इस कानून के प्रचार-प्रसार का। हम स्वयं भी इसे समझें और दूसरों को भी समझने में मदद करें तभी इनके विभिन्न पक्षों को लागू करने में हम सब शिक्षाविद्, शिक्षक, नीति निदेशक, अभिभावक, विषय विशेषज्ञ तथा विद्यार्थी इसे लागू करने में सहायक हो सकेंगें।

[16] एन के. सिंह, 'शिक्षा के अधिकार से आगे .....', (हिंदुस्तान—दैनिक समाचार पत्र, 4 अगस्त 2009).